

IN THE COURT OF 3RD ADDITIONAL SESSIONS JUDGE, HARIDWAR.

ST. NO. 236/2016

STATE Vs. JANMED SINGH

DATED 11.10.2023-

पुकारा गया।

अभियुक्त रविपाल उपस्थित।

अभियुक्तगण जनमेद, दुर्गेश की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत।

सुना व आज के लिए स्वीकृत।

अभियोजन साक्षीगण प्रस्तुत नहीं। स्थगन प्रस्तुत। सुना।

मामले में विवेचक निरीक्षक अमर चन्द्र शर्मा को सम्मन जारी किए गए थे। परन्तु अभियोजन आख्या अनुसार, गवाह के ताउजी की मृत्यु होने का कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं आया।

उक्त विशिष्ट परिस्थिति के दृष्टिगत मामले में स्थगन इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि, अभियोजन पक्ष मामले की प्राचीनता को देखते हुए मामले में अगली तिथि पर अभियोजन साक्षीगण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 21.10.2023 को पेश हो।

(Anirudh Bhatt)
3rd Additional Sessions Judge
Haridwar.